न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1895/एक/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 3-11-2011 पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 93/2010-11 अपील

रतनपाल (फोत) पुत्र गुरूदयाल
वारिस
मुन्नीलाल पुत्र रतनलाल
ग्राम अमायन तहसील मेहगांव
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

परमसिंह फोत पुत्र खुशाली
वारिस
1-श्रीमती सुरजा पत्नि परमसिंह
2-लक्कीराम 3- उदयवीर 4- सोनी
पुत्रगण परमसिंह निवासीगण
ग्राम अमायन तहसील मेहगांव
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के0एस0कुशवाह)

आ दे श
(आज दिनांक 1-12-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 93/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-11-11 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ग्राम अमायन स्थित भूमि सर्वे कमांक 266 रकबा 0.71 हैक्टर की रिकार्डेड भूमिस्वामिनी महिला प्यारी उर्फ रामप्यारी पत्नि स्वर्गीय गुरूदयाल थी जिसकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी

के सरल क्रमांक 2 पर आदेश दिनांक 21-2-81 से समान भाग पर आवेदक एंव अनावेदक का नामान्तरण किया गया। इस इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 53/ 08-09 अपील में पारित आदेश दि. 28-2-11 से नामान्तरण आदेश दि. 21-2-81 निरस्त किया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु तहसील न्यायालय के प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध परमासिंह ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 93/2010-11 प्रस्तुत करने पर आदेश दि. 3-11-11 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दि. 28-2-11 निरस्त किया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव के आदेश दिनांक 3-11-11 के अवलोकन पर पाया गया कि उनके आदेश का अंतिम पद इस प्रकार है :-

- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट व्दारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक व्दारा ग्राम अमायन की नामान्तरण पंजी क्रमांक 2 पर पारित किया गया आदेश दिनांक 21-2-81 नियमों के प्रतिकूल होने से निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति ना0 तहसीलदार वृत्त अमायन की ओर इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि वह उभय पक्ष को पर्याप्त साक्ष्य सुनवाई एंव साक्ष्य तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये गुणदोष के आधार पर नियमानुसार नामान्तरण का आदेश पारित किया जावे। *

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव का आदेश दिनांक

28-2-11 अंतिम स्वरूप का नहीं है अपितु अंतरिम स्वरूप है जिसके विरूद्व निगरानी सुनवाई योग्य है जबकि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग ने अग्राहय अपील में सुनवाई कर आदेश दि. 3-11-11 पारित किया है, जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने अपील अपील ग्राह्य न होने के वाद भी आदेश दिनांक 3-11-11 पारित करने में प्रकियात्मक त्रृटि की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 3-11-11 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। वैसे भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के प्रभाव से उभय पक्ष को नायव तहसीलदार वृत्त अमायन के समक्ष अपना अपना पक्ष रखने एंव बचाव प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 93/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-11-11 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर